न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 130/2021
ऑनलाईन नंबर 2021/292

निर्णय दिनांक 31.10.2022

फुसाराम पुत्र बन्नाराम जाति नाई उम्र 70 वर्ष निवासी लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर जरिये मुखत्यार आम भैराराम पुत्र फुसाराम जाति नाई निवासी लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री पूनचन्द मारू अभिभाषक प्रार्थी
2. परोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना—पत्र धारा 136 सपठित धारा 131 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 52 तादादी 25 बीघा 8 बिस्वा गय 10 बिस्वा गै.मु.रा. वाकेरोही लखासर में स्थित है। सेटलमेंट सम्वत् 2061 के दौरान इस खेत के नये खसरा नम्बर 69 तादादी 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70 तादादी 0.55 हैक्टेयर गै.मु. सड़क व खसरा नम्बर 71 तादादी 5.74 हैक्टेयर बारानी कुल किला 3 कुल तादादी 6.42 हैक्टेयर वाकेरोही लखासर कायम हो गये। सेटलमेंट टीम ने बिना मौके पर गये ही मौका स्थिति के विपरीत यादगत खेत का नक्शा बनाया। वर्तमान खसरा नम्बर 69 तादादी 0.13 हैक्टेयर जमीन जो गै.मु. सड़क के पश्चिम में प्रार्थी की खातेदारी की है, सेटलमेंट से पूर्व यह जमीन 2 बीघा थी परन्तु सेटलमेंट के दौरान इसको 0.13 हैक्टेयर कर दिया तथा इस खाचा का मध्यस्थ छोटा कर दिया जो कि मौका स्थिति के विपरीत है। सेटलमेंट से पूर्व इस जमीन का नक्शा मौका अनुसार सही था। सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थी की खातेदारी में दर्शित रास्ता के पश्चिम में जो प्रार्थी की जमीन है उसके खसरा नम्बर 47 व खसरा नम्बर 51 की सीमा लगती थी परन्तु सेटलमेन्ट के दौरान तत्कालीन रास्ता वर्तमान में गै.मु. सड़क के पश्चिम में जो प्रार्थी की जमीन दर्शाई गई है उसकी सीमा केवल खसरा नम्बर 51 वर्तमान खसरा नम्बर 68 के लगती दर्शाई गई है जो पूर्णतया मौका स्थिति के विपरीत है। मौका पर प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 52 की गै.मु. रास्ता के पश्चिम तरफ स्थित भूमि जिसका सेटलमेंट के दौरान खसरा नम्बर 69 तादादी 0.13 हैक्टेयर कायम किया गया है की सीमा सेटलमेंट से पूर्व के खसरा नम्बर 51 वर्तमान खसरा 69 तथा खसरा नम्बर 47 वर्तमान खसरा नम्बर 68 के लगती है तथा प्रार्थी के खातेदारी खेत व खसरा नम्बर 51 वर्तमान खसरा नम्बर 69 व खसरा नम्बर 47 वर्तमान खसरा नम्बर 68 के बीच सींव बनाई हुई है जो काफी पुरानी है। प्रार्थी की इस जमीन में दो पानी के कुण्ड बनाये हुए हैं जिसमें एक पानी का कुण्ड सरकारी अनुदान से बनाया हुआ है। सेटलमेंट के दौरान प्रार्थी के खेत के रास्ता वर्तमान में सड़क के पश्चिम में स्थित जमीन के नक्शा की सीमा के चिह्न से दिखाई जाकर रकबा कम दर्शाया गया है जबकि सेटलमेंट से पूर्व नक्शा से का इस जमीन का नक्शा मौका स्थिति के विपरीत दर्शाया हुआ है जिसको मौकानुसार सही करने हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थी को कहा तो अप्रार्थी ने शुरू में [illegible] पर जाकर मौका देखकर सेटलमेंट से पूर्व के नक्शा के अनुसार [illegible] ब[illegible] सही कर देंगे फिर अप्रार्थी ने काफी समय तक कुछ [illegible] बार बार अप्रार्थी से निवेदन किया तो अप्रार्थी ने दिन[illegible] कि सेटलमेंट के दौरान गलती हुई है इसलिए हम इसे दुरूस्त नहीं कर सकते आपको अदालत से आदेश लाना होगा। प्रार्थी के खातेदारी खेत का नक्शा सही नहीं दर्शाया होने से रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.04 11:56:14 IST
Reason: SelfAttested

(गै.मु. सड़क) के पश्चिम में स्थित भूमि का रकबा भी कम हो गया है तथा वर्तमान नक्शा अनुसार सीमा कायम की जावे तो प्रार्थी के खेत में बनी पानी की कुण्ड प्रार्थी के खेत का हिस्सा नहीं रहेगी। प्रार्थी को काफी परेशानी होगी इसलिए प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि का नक्शा सही करवाने का अधिकारी है जिसके लिए यह प्रार्थना–पत्र पेश किया जा रहा है। सेटलमेंट के दौरान प्रार्थी के खेत का नक्शा में गलती की गई है। मौका अनुसार नक्शा नहीं बनाया गया है। सेटलमेंट के दौरान की गई गलती को दुरूस्त करने का अधिकार अदालतनामा को ही है इसलिए प्रार्थना–पत्र श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी को आदेश दिया जावे कि वो प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 69 पूर्व खसरा नम्बर 51 का नक्शा मौका स्थिति के आधार पर सेटलमेंट से पूर्व के अनुसार कायम कर रिकॉर्ड दुरूस्त करें तथा ऐसा कोई भी आदेश जो हितकर प्रार्थी हो या दौराने विचारण प्रार्थना–पत्र हितकर प्रार्थी हो जावे वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपित नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

रोही ग्राम लखासर के मूल खसरा नंबर 52 तादादी 25 बीघा 8 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नंबर 69,70 व 71 की सीमाओ की मूल स्थिति सेटलमेंट से पूर्व के अनुसार कायम करने एवं खसरा नंबर 69 का क्षेत्रफल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में 0.1300 हैक्टयर के स्थान पर 0.5200 हैक्टेयर व खसरा नंबर 71 का क्षेत्रफल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में 5.74 के स्थान पर 5.3500 हैक्टेयर किस्म बारानी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 31.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.04 11:56:14 IST
Reason: SelfAttested